तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो इस हुक्म ... में ...

13-6-22

.आ.सा. राजकार्य / भ्रमण / मिटिंग / कैम्प के कारण
अवकाश में होने के कारण पत्रावली वास्ते
गतादेश हेतु दि. 14-6-22 को पेश हो।

रीडर

14-6-22

वकील वादी उप०। वादी गण की ओर से यह प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2050-53 खाता सं. 13 मे साबिक ख० नं. 577 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वाके है। प्रार्थी ने उक्त आराजी मे एक चाह निर्माण किया हुआ है। सेटलमेण्ट द्वारा साबिक खसरा नं. 577 के हाल ख० नं. 698 रकबा 0.17 है० ख. नं. 859 रकबा 0.64 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 है० कायम किए गए तथा प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज कर दिए। लेकिन चाह ख. नं. 699 रकबा 0.1 है० कायम करते हुए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 के नाम गलत तरीके से अंकन कर दिया। अतः खसरा नं. 699 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम शिशोलाव की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी से हजफ कर प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी सं. 5 की फौत रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य PW-1 कजोड़, PW-2 रामनारायण, PW-3 हरिनारायण लिए गए एवं अपने वाद के समर्थन मे प्रदर्श-1 जमाबंदी संवत् 2053 खाता सं. 13 प्रदर्श-2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-3 जमाबंदी 2068-71 खाता सं. 15 प्रदर्श-4 जमाबंदी संवत् 2068-71 खाता सं. 93, प्रदर्श-5 हाल नक्शा ट्रेस एवं प्रदर्श-6 साबिक खसरा नम्बरान का नक्शा प्रस्तुत किया।

बहस वादी गण सुनी गयी। वादी गण

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	के अभिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी में खसरा नम्बर 577 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा प्रदर्श-1 के मुताबिक दर्ज है। जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख० नं० 698 रकबा 0.17 हे० व 859 रकबा 0.64 हे० साबिक ख० नं० 577 से कायम किये। हमने प्रदर्श-2 का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ख० नं० 699 रकबा 0.01 हे० के साबिक खसरा नं० 573 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से कायम हुआ है। जो ख० नं० 577 मिन 3 बीघा 4 बिस्वा से भिन्न है। तथा उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया है। जिसमें से लक्ष्मण की फौतगी रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद प्रार्थीगण ने उसके कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया। जबकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ख० नं० 699 रकबा 0.01 हे० को उनकी खातेदारी से हटाकर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। जो धारा-136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की परिधि में नहीं आता। अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादीगण का प्रार्थना पत्र धारा-136 LR Act से परे होने के कारण लक्ष्मण के वारिसान के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाने के फलस्वरूप नुसंयोजन ऑफ पार्टीज के नुक्श के तहत अस्वीकार कर निरस्त किया जाना न्याय हित में उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	